

9 January 2025

वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण गरीबी में कमी आई: एसबीआई

सन्दर्भ: हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक नवीनतम शोध अध्ययन में भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट का पता चला है। यह अध्ययन भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में हुई प्रगति को दर्शाता है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **ग्रामीण गरीबी में कमी:** ग्रामीण गरीबी 2023-24 में 4.86% तक गिर गई है, जोकि 2011-12 में 25.7% थी। यह मुख्य रूप से सरकारी सहायता और सबसे गरीब दशमक (कमबपसम) में अधिक खपत के कारण है।
- **शहरी गरीबी में कमी:** शहरी गरीबी 2011-12 में 13.7% से घटकर 4.09% हो गई।
- **सरकारी कार्यक्रमों का प्रभाव:** सरकारी पहल, विशेषकर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास और किसान सम्मान निधि कार्यक्रम, गरीबी में कमी लाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।
- **उपभोग असमानता में कमी:** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोग असमानता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है।
- **खाद्य मूल्य प्रभाव:** खाद्य मूल्यों में उतार-चढ़ाव समग्र उपभोग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खाद्य व्यय अधिक है।

निष्कर्षों के निहितार्थ:

- **गरीबी कम करने प्राप्त सफलता:** ये निष्कर्ष बताते हैं कि कुल गरीबी 4-4.5% तक कम हो सकती है, जिससे गरीबी और कम होगी तथा देश के आर्थिक विकास में तेजी आएगी।
- **सरकारी कार्यक्रम और बुनियादी ढांचा विकास:** ग्रामीण-शहरी आय असमानता को कम करने में बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
- **खाद्य मुद्रास्फीति की भूमिका:** खाद्य मुद्रास्फीति ग्रामीण, निम्न-आय वाले राज्यों में उच्च आय वाले क्षेत्रों की तुलना में खपत को अधिक प्रभावित करती है, जिससे मांग कम हो जाती है।
- **आर्थिक असमानताएं:** अध्ययन यह भी बताता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बचत दर कम है, जोकि उच्च बाहरी प्रवास से जुड़ी है, जबकि उच्च आय वाले राज्यों में बचत दर बेहतर दिखाई देती है।

चिंताएं:


- **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** गरीबी में कमी के बावजूद, ग्रामीण और

शहरी क्षेत्रों के बीच आय और संसाधनों तक पहुंच में असमानताएं बनी हुई हैं।

- **संभावित संशोधन:** 2021 की जनगणना पूरी होने और नई ग्रामीण-शहरी जनसंख्या हिस्सेदारी उपलब्ध होने पर गरीबी के अनुमान बदल सकते हैं।
- **खाद्य मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशीलता:** ग्रामीण क्षेत्र बढ़ती खाद्य कीमतों से अधिक प्रभावित होते हैं, जिससे उनके उपभोग पैटर्न पर असर पड़ता है।
- **सरकारी कार्यक्रमों की स्थिरता:** सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और दीर्घकालिक स्थिरता चिंता का विषय है, क्योंकि इन पहलों को बदलती आर्थिक स्थितियों के अनुरूप ढलना जारी रखना होगा।

गरीबी:

- गरीबी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन और आवश्यक वस्तुओं की कमी होती है। विश्व बैंक इसे कल्याण में अभाव की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें कम आय, खराब स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पानी तक सीमित पहुंच और किसी के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता की कमी शामिल है।



गरीबी के प्रकार:

- **पूर्ण गरीबी:** ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां घरेलू आय भोजन, आश्रय और आवास सहित बुनियादी जीवन स्तर को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। पूर्ण गरीबी को विभिन्न देशों और समय के साथ मापा जा सकता है। विश्व बैंक ने 2022 में गरीबी रेखा को \$2.15 प्रतिदिन तक अपडेट किया है।
- **सापेक्ष गरीबी:** सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित, सापेक्ष गरीबी यह मापती है कि व्यक्ति या परिवार आसपास की आबादी के जीवन स्तर की तुलना में कैसे हैं। इसे अक्सर औसत आय के एक निश्चित प्रतिशत

Face to Face Centres



9 January 2025

से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

पंजाब में पीएम-यशस्वी योजना के तहत लांच हुआ छात्रवृत्ति पोर्टल

सन्दर्भ: हाल ही में पंजाब सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम-यशस्वी) के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त जाति (डीएनटी) श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के छात्रों को शैक्षिक सशक्तिकरण प्रदान करना है।

योजना का उद्देश्य:

- प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके। योजना का लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से इन छात्रों को सशक्त बनाकर उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है।

चयन प्रक्रिया:

- योजना के तहत, छात्रों का चयन यशस्वी प्रवेश परीक्षा (वाईईटी) के माध्यम से किया जाता है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा किया जाता है। यह प्रवेश परीक्षा छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्रों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पात्रता मानदंड:

- यह योजना निम्नलिखित श्रेणियों के छात्रों के लिए उपलब्ध है:
 - अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
 - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईबीसी)
 - विमुक्त जाति (डीएनटी)
- इसके अतिरिक्त, योजना के लिए पात्र होने के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

शामिल योजनाएं:

- पीएम-यशस्वी योजना में डॉ. अंबेडकर पोस्ट-मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियां जैसी पुरानी योजनाओं को भी शामिल किया गया है, इस प्रकार वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शैक्षिक सहायता के लिए एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया गया है।

उप-योजनाएं:

- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10): जिन छात्रों की परिवार की

आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 4,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (उच्च शिक्षा): छात्र द्वारा किए जा रहे पाठ्यक्रम के आधार पर 5,000 से 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

अतिरिक्त सुविधाएं:

- योजना स्कूलों और कॉलेजों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगी, साथ ही ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी करेगी। इन अतिरिक्त सुविधाओं का उद्देश्य एक बेहतर शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना कि छात्र बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

निष्कर्ष:

पीएम-यशस्वी योजना पंजाब में वंचित वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय बाधाओं को कम करके, यह छात्रों को शैक्षणिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनके लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करेगा।

पहली भारत-मलेशिया सुरक्षा वार्ता

संदर्भ: हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मलेशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक राजा डाटो नुशीरवान बिन जैनल आबिदीन ने संयुक्त रूप से पहली भारत-मलेशिया सुरक्षा वार्ता की सह-अध्यक्षता की। यह वार्ता द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसमें आतंकवाद पर सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों सहित साझी वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की गयी।

वार्ता के फोकस क्षेत्र:

- वार्ता का केंद्रबिंदु क्षेत्र में आतंकवाद के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद का मुकाबला और उग्रवाद का निवारण करना था।
- दोनों देशों ने इस खतरे से निपटने के लिए सहयोगात्मक उपायों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना और समुद्री सुरक्षा बढ़ाना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया।
- इस सुरक्षा वार्ता से रक्षा, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जोकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

भारत-मलेशिया संबंधों के बारे में:

- भारत और मलेशिया के बीच राजनयिक संबंध 1957 में स्थापित हुए

Face to Face Centres



थे। विगत वर्षों में, व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में संबंध मजबूत हुए हैं।

- **आर्थिक संबंध:** वित्त वर्ष 2023-24 में, द्विपक्षीय व्यापार 20.01 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे मलेशिया भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। मलेशिया-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (एमआईसीईसीए), स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और केंद्रीय बैंक साझेदारी जैसी प्रमुख पहलों ने इन संबंधों को बढ़ावा दिया है।
- **पाम ऑयल राजनीति:** मलेशिया भारत को प्रतिवर्ष लगभग तीन मिलियन मीट्रिक टन ताड़ के तेल का निर्यात करके भारत के खाद्य तेल बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही, मलेशिया अनुसंधान एवं विकास तथा बीज आपूर्ति के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को सहायता प्रदान करता है।
- **रक्षा सहयोग:** संयुक्त उद्यम, हथियारों की खरीद और सैन्य प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग से भारत और मलेशिया के बीच रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग समिति (एमआईडीसीओएम) की वार्षिक बैठकें इस सहयोग को और गहरा बनाती हैं। 2023 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने कुआलालंपुर में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करके इस संबंध को और मजबूत किया है।
- **जन-से-जन संपर्क:** मलेशिया दो मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का घर है, जिससे सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है।

मलेशिया की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किया है।

- **रक्षा भू-राजनीति:** मलेशिया द्वारा भारत के तेजस के बजाय दक्षिण कोरिया के एफए-50 जेट का चयन करने से रक्षा सौदों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **राजनीतिक तनाव:** कश्मीर और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे मुद्दों पर असहमति के कारण तनाव पैदा हुआ है।
- **प्रत्यर्पण मुद्दे:** जाकिर नाइक को प्रत्यर्पित करने से इनकार करने से मलेशिया में तनाव संबंधों में तनाव रहता है।
- **चीन संबंध:** दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ मलेशिया की मौन कूटनीति भारत के लिए चुनौतियां पैदा करती है।
- **श्रम शोषण:** मलेशिया में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार की चिंताएं बनी हुई हैं।

भारत द्वारा संबंधों को मजबूत करने के लिए पहल:

- **तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी):** भारत मलेशियाई नागरिकों के लिए 100 वार्षिक सीटें आवंटित करता है, जिससे शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है।
- **एमआईसीईसीए:** मंच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** कुआलालंपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र भारतीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
- **वित्तीय संपर्क:** भारत का यूपीआई भुगतान सिस्टम मलेशिया में स्वीकार किया जाता है, जिससे वित्तीय लेनदेन का आधुनिकीकरण होता है।

भारतपोल पोर्टल

सन्दर्भ: हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतपोल पोर्टल लॉन्च किया। यह पहल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विदेश भागे हुए फरार अपराधियों को ट्रैक करने के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोर्टल भारत के कानूनी और कानून प्रवर्तन ढांचे को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें तीन नए आपराधिक कानून भी शामिल हैं।

प्लेटफॉर्म के विषय में:

- भारतपोल पोर्टल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विकसित एक तकनीकी मंच है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ना है, जिससे वास्तविक समय में डेटा साझा करना, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना और वैश्विक कानून प्रवर्तन निकायों के साथ संचार बढ़ाना संभव हो सके।
- पोर्टल का उद्देश्य अपराध नियंत्रण उपायों में सुधार करना और न्याय से बचने के लिए भारत से भागे अपराधियों को ट्रैक करने में सहायता करना है। प्लेटफॉर्म पांच प्रमुख मॉड्यूल को एकीकृत करता है:
- **कनेक्ट:** यह मॉड्यूल भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के



भारत-मलेशिया संबंधों में चुनौतियाँ:

- **कमजोर आर्थिक सहयोग:** द्विपक्षीय व्यापार मलेशिया-चीन व्यापार संबंधों की तुलना में मामूली है, जबकि भारत के निर्यात प्रतिबंधों ने

Face to Face Centres



9 January 2025

साथ सीधे जोड़ता है, जिससे वैश्विक स्तर पर अपराधियों को पकड़ने में आसानी होती है।

- **इंटरपोल नोटिस:** इस मॉड्यूल के माध्यम से, भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फरार अपराधियों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है, जिससे उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में ढूँढना आसान हो जाता है।
- **संदर्भ (Refrence):** यह मॉड्यूल एक ऐसा मंच है जहां सभी देशों की पुलिस एक-दूसरे से अपराधियों के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं।
- **प्रसारण (Broadcast):** यह मॉड्यूल किसी भी देश से आए हुए अपराध से संबंधित सूचनाओं का तुरंत आदान-प्रदान सुनिश्चित करता है।
- **संसाधन (Resource):** यह मॉड्यूल दस्तावेजों और प्रशिक्षण सामग्री के आदान-प्रदान का समर्थन करता है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण पहलों को बढ़ावा मिलेगा।

भारतपोल और नए आपराधिक कानूनों के लाभ:

- **तेज जांच:** भारतीय एजेंसियों को एक वैश्विक नेटवर्क से जोड़कर, पोर्टल डेटा अनुसंधानों के त्वरित प्रतिक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है।
- **कुशल अपराधी ट्रैकिंग:** पोर्टल भारत से भागे हुए और न्याय से बचने वाले फरार अपराधियों को ट्रैक करने में सहायता करता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह भारतीय और वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे आपराधिक जांच में समय पर सहायता सुनिश्चित होती है।
- **अपराध रोकथाम:** 19 विभिन्न इंटरपोल डेटाबेस तक पोर्टल की पहुंच अधिकारियों को अपराध पैटर्न का विश्लेषण करने में मदद करती है, जिससे अधिक प्रभावी अपराध रोकथाम रणनीतियों के विकास की

ओर ले जाती है।

फरार आर्थिक अपराधी (एफईओ) के बारे में :

- फरार आर्थिक अपराधी (एफईओ) एक ऐसा व्यक्ति है जो फरार आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 में उल्लिखित निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है:
 - » **अनुसूचित अपराध:** व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की आर्थिक अपराध किया होना चाहिए। इन अपराधों में आमतौर पर वित्तीय धोखाधड़ी, धन शोधन या अन्य गंभीर आर्थिक अपराध शामिल हैं।
 - » **देश से भाग गया या लौटने से इनकार किया:** व्यक्ति कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत से भाग गया है या आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए वापस लौटने से इनकार कर दिया है। यह भारत के बाहर रहकर अभियोजन से बचने का प्रयास दर्शाता है।

फरार आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के बारे में:

- फरार आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 विशेष रूप से उन आर्थिक अपराधों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो अभियोजन से बचने के लिए भारत से भाग गए हैं।
- यह कानून 100 करोड़ रुपये से अधिक के आर्थिक अपराधों में शामिल व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए अधिकारियों को सशक्त बनाता है जोकि वापस लौटने से इनकार करते हैं या देश से भाग गए हैं।
- इस अधिनियम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बावजूद भारतीय कानून के शासन को प्रभावी बनाना है, ताकि कोई भी अपराधी न्याय से बच न सके।

पावर पैक न्यूज़

वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष

- वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
- वी नारायणन 14 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे जो वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ का स्थान लेंगे।
- वर्तमान में, वे केरल के वलियामाला में इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) के निदेशक हैं।
- वे रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन विशेषज्ञ हैं और 1984 में इसरो में शामिल हुए थे।
- एस सोमनाथ इसरो के दसवें अध्यक्ष हैं और 14 जनवरी 2022 से इस पद पर हैं।



भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024-25

- सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, जो 2023-24 में 8.2% थी।
- नॉमिनल जीडीपी में 9.7% की वृद्धि दर्ज की गई है।

Face to Face Centres



9 January 2025

- कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि निर्माण क्षेत्र के लिए यह दर 8.6% है।
- वित्तीय, रियल एस्टेट, और पेशेवर सेवाओं में 7.3% की वृद्धि का अनुमान है।
- स्थिर कीमतों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में भी 7.3% वृद्धि देखी गई है।

सिक्किम में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर

- केंद्रीय मंत्री रंजन सिंह ने सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया।
- जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्देश्य किसानों की आय और जलीय कृषि में स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- यह क्लस्टर एंटीबायोटिक, रसायन, और कीटनाशक मुक्त मछलियों का उत्पादन करेगा।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 50 करोड़ रुपये की प्रमुख परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया।
- जैविक मत्स्य पालन प्रणाली पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करेगी और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करेगी।

बहादुर सिंह सागू एएफआई के नए अध्यक्ष

- एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) के अध्यक्ष चुने गए हैं।
- उन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित वार्षिक आम सभा में आदिले सुमरिवाला का स्थान लिया, जो 2012 से अध्यक्ष पद पर थे।
- संदीप मेहता महासंघ के नए सचिव बने हैं।
- एएफआई के नेतृत्व में कांस्य स्तर का कॉन्टिनेंटल टूर एथलेटिक्स कार्यक्रम भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा।



कैशलेस उपचार योजना

- सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत दुर्घटना के तुरंत बाद सात दिनों तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के चिकित्सा व्यय को कवर किया जाएगा।
- यह योजना देशभर में लागू की जाएगी और प्रारंभ में चुनिंदा राज्यों में शुरू की गई थी। दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को देना अनिवार्य होगा।
- हिट-एंड-रन मामलों में पीड़ित के परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है। मृत्यु की स्थिति में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
- सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने सड़क सुरक्षा की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि 2024 में, भारत में 1.8 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। इनमें से 30,000 लोग हेलमेट न पहनने के कारण मरे। घातक दुर्घटनाओं के 66% पीड़ित 18 से 34 वर्ष के थे।
- गडकरी ने ड्राइविंग प्रशिक्षण की कमी को भी एक प्रमुख कारण बताया और कहा कि देश में लगभग 22 लाख प्रशिक्षित ड्राइवरों की कमी है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने नई नीति के तहत अधिक ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है।
- स्कूलों और कॉलेजों के पास दोषपूर्ण प्रवेश और निकास बिंदुओं को सुधारने के भी प्रयास किए जाएंगे।
- उन्होंने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क डिजाइन और ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया।



Face to Face Centres

